पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, बहस प्रा-पत्र 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 पर उभयपक्षो की तर्क बहस, जवाब, तथ्यो, साक्ष्यो व पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया, प्रा-पत्र 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 मे अंकित किया गया कि प्रार्थी को जारी सम्मन पर गलत व अनुचित ढंग से बनावटी हस्ताक्षर द्वारा तामिल की गई जो असम्यक मानी जावे एंव न्यायालय का आदेश 123.16 का अवैध व अनुचित है क्यो कि मांगीलाल भील जो रिकार्डेड खातेदार है को पार्टी नही बनाकर वादी ने तथ्य छिपाए। अत: रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। तथा प्रतिवादी व प्रार्थी ने तर्क प्रस्तुत किये। प्रतिवादी/प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि तामील फर्जी हस्ताक्षर से होकर सम्यक नही हुई। एंव राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा भी आगामी तारीख नही फरमायी। जवाब मे मेरे प्रा-पत्र मे अंकित तथ्यो का कोई खण्डन नही किया। प्रोपर तामिल नही हुई। मांगीलाल भील रिकार्डेड खातेदार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया। सम्पति का विवाद होने से न्यायहित मे प्रा-पत्र स्वीकार किया जावे। जानकारी होते ही अविलम्ब प्रा-पत्र पेश कर दिया है।

वादी/अप्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि डेढ़ माह बाद प्रा-पत्र लगाया जो समयावधि बाहर है तामिल राजस्व कर्मचारियो द्वारा कराई गई जो सम्यक हुई। 09R13 के प्रा-पत्र मे एक पक्षीय कार्यवाही आदेश की जानकारी किस स्त्रोत से हुई, कही नही बताया। इस दौरान काउन्टर क्लेम मे वाद पत्र द्वारा अवेट होने पर 022R3 का कायम मुकाम का प्रा-पत्र पेश नही किया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09R13 का प्रा-पत्र देरी से पेश करने का कोई आकलन नहीं किया। अत: प्रा-पत्र खारीज किया जावे। प्रार्थी ने सम्मन तामील पर हस्ताक्षर बनावटी होने के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य या उस द्वारा की गई कोई कानूनी कार्यवाही पेश नही की। प्रार्थना पत्र बिन्दु सं. 2 के अनुसरण मे मांगीलाल भील जो कि रिकार्डेड खातेदार है को पूर्व मे 09R10 मे पार्टी बनाकर अपना पक्ष रखना चाहिए था जो अब प्रा-पत्र 09R9, 09R7, 09R13 मे 1-10 का प्रा-पत्र लगाकर उक्त प्रा-पत्र मे पक्षकार पूर्व मे ही बना लिया गया है प्रार्थी 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 का प्रा-पत्र परिसीमा के बाहर पेश किया गया जिसका न तो प्रार्थी ने देरी का कोई कारण उल्लेख किया है और न ही भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रा-पत्र पेश किया है प्रार्थी का प्रा-पत्र 09R9, 09R7 09R13 संपठित धारा 151 अस्वीकार होकर खारिज किया जाता है चूंकि न्यायालय द्वारा प्रतिदावा मे निर्णय दिनांक 12-3-16 को विपक्षीगण की एकपक्षीय कार्यवाही मे आदेश पारित किया जा चुका है एंव विपक्षीगण द्वारा प्रा-पत्र 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 का पेश किया गया, जिसमे 1-10 द्वारा पक्षकार के रूप मे श्री मांगीलाल भील को शामिल किया गया, प्रा-पत्र 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 जा. दी. खारीज किया जा चुका है जिस कारण पत्रावली दिनांक 12.3.2016 के पूर्व आदेशानुसार स्थिति मे	..

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
	लौट गई है। अत: पूर्व आदेशानुसार डिक्री जारी हो, खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.29 13:18:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: